

20.5.22

वकील प्रतीक उपा। पत्रपत्रिका पर वक्तव्य की
 2121 पत्रपत्रिका का अवलोकन किया गया। इससे
 निष्पत्ति है कि इस पत्रपत्रिका-पत्र पत्रिका
 द्वारा अंतरगत धारा 212 R 7 के तहत
 प्रेषित विचारों का प्रसार 2004,
 6/30/1, कुल विचार 2 कुल प्रकाश 3 वीक्षण
 3 निष्पत्ति वाले विचारों को प्रकाशित करना
 3 पर प्रकाशित करने वाले को यह निषेध
 किया गया। जिस पर न्यायपालिका द्वारा पूर्व के
 ही दिनांक 6.6.2022 को अन्तर्गत विधेयता
 जारी की। पत्रपत्रिका को नोटिस जारी कर तदनुसार
 किया गया। पत्रपत्रिका पर उपरोक्त प्रकाशित
 पत्रपत्रिकाओं के अवलोकन में अन्तर्गत विधेयता
 को कन्फर्म किया गया उचित प्रकाशित है। अतः
 आदेश निम्न है कि पूर्व के जारी विधिक
 आदेश दिनांक 6.6.2022 को पूर्व के
 निष्पत्ति तत्काल कन्फर्म किया जाता है। पत्रपत्रिका
 प्रेषित प्रकाशित होने पर तत्काल विचार
 पूर्व के दिनांक के दिनांक प्रकाशित है। आदेश
 हुआ गया।



उपखण्ड अधिकारी
 करौली (राज.)